अनुदान संख्या 100 – महिला और बाल विकास मंत्रालय
GRANT No. 100 – MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	24930,00,00	24930,03,00	21783,56,45	-3146,46,55
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3146,04,85
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		5,00,00	..	-5,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat-Social Services				
मू.	O.	6080.00	4902.02	4898.11	-3.91
पु.	R.	-1177.98			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	389410.00			
पू.	S.	2.00	272720.09	272688.41	-31.68
पु.	R.	-116691.91			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य	Head					
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	241700.00				
पू.	S.	1.00		..	..	..
पु.	R.	-241701.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	1774700.00				
				1841905.02	1841905.01	-0.01
पु.	R.	67205.02				
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	79410.00				
				57549.05	57549.06	+0.01
पु.	R.	-21860.95				

(I) ₹241701.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹241090.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "सामाजिक कल्याण – बाल कल्याण" –

(क) "सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस–आंगनवाडी सेवायें, पोषण अभियान, किशोर लडकियों के लिए योजना, राष्ट्रीय क्रेच)" – ₹146400.00 लाख

(I) Provision of ₹241701.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹241090.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Social Welfare - Child Welfare" –

(a) "Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Umbrella ICDS-Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls, National Creche)"- ₹146400.00 lakhs;

(ख) "मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवायें और बाल कल्याण सेवायें" – ₹9000.00 लाख

(खा) "सामजिक कल्याण'–महिलाओं का कल्याण–मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन) " – ₹24490.00 लाख;

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – सामाजिक कल्याण –बाल कल्याण" –₹29600.00 लाख; और

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – सामाजिक कल्याण – बाल कल्याण" – ₹31600.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए आशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹1181.89 लाख की बचत (₹6080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ते के लिए कम निधियों की आवश्यकता, कम परामर्शदाताओं को लेने, कम दौरे करने, एलटीसी और छुट्टी नकदीकरण के कम दावे प्राप्त होने और मितव्यता उपाय करने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः

(का) "बाल कल्याण" –

(क) "नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एंड चाइल्ड डेवलेपमेंट (एनआईपीसीसीडी)" – ₹708.64 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4021.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(b) "Mission Vatsalya (Child Protection Services and Child Welfare Services)"- ₹9000.00 lakhs;

(B) "Social Welfare - Women's Welfare - Mission Shakti (Mission for Protection and Empowerment for Women)" - ₹24490.00 lakhs;

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Social Welfare - Child Welfare"- ₹29600.00 lakhs; and

(D) "Tribal Area Sub - Plan-Social Welfare-Child Welfare" – ₹31600.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/ funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat-Ministry of Women and Child Development"- saving of ₹1181.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6080.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards DA, hiring of less consultants, less tours undertaken, receipt of less claims for LTC and leave encashment claims and economy measures.

(III) Under Major Head "2235" – "Social Welfare" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Child Welfare"-

(a) "National Institute of Public Co-operation and Child Development (NIPCCD)"- saving of ₹708.64 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4021.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) was due to non-filling up of vacant posts.

(ख) "स्वायत्तशासी निकायों को सहायता" – ₹802.61 लाख की बचत (जुलाई, 2021 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3981.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण वास्तविक मोड में प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होने, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और रायपुर और छत्तीसगढ में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(ग) "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस–आंगनवाडी सेवायें, पोषण अभियान, किशोर लडकियों के लिए योजना, राष्ट्रीय क्रेच)"– ₹49593.36 लाख की बचत (₹57000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों के पास पूर्ववर्ती वर्ष का अप्रयुक्त शेष उपलब्ध होने और संबंधित राज्य का हिस्सा जमा नहीं होने के कारण हुई।

(घ) "मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवायं और बाल कल्याण सेवायें)"– ₹11992.30 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ववर्ती वर्षों का अप्रयुक्त शेष उपलब्ध होने, कम दौरे करने, आनलाइन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परामर्श करने, कोविड–19 महामारी के कारण कतिपय कार्यकलापों पर प्रतिबंधों के कारण हुई।

(खा) "महिलाओं का कल्याण"–

(क) "स्वायत्तशासी निकायों को सहायता"–₹627.62 लाख की बचत (₹8650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य बोर्डों के पास अप्रयुक्त शेष की उपलब्धता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Support to Autonomous Bodies"- saving of ₹802.61 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3981.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2021) was due to non-conduction of training programme in physical mode owing to COVID-19 pandemic, non-filling up of vacant posts and non-finalization of proposal for setting up of Regional Centre at Raipur and Chhatisgarh.

(c) "Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Umbrella ICDS-Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls, National Creche)" – saving of ₹49593.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates, availability of unspent balance of previous year with State Governments/ UTs Administration and non-credit of corresponding state share.

(d) "Mission Vatsalya (Child Protection Services and Child Welfare Services)" – saving of ₹11992.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 25000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year, less tours undertaken, conduction of National & Regional consultations online, restriction of certain activities owing to COVID-19 pandemic.

(B) "Women's Welfare"-

(a) "Support to Autonomous Bodies" – saving of ₹627.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 8650.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of State Boards and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन)"– ₹39273.00 लाख की बचत (₹185155.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम दौरे करने, पीएमएमवीवाई की संशोधित दिशानिर्देश/पुस्तिका/पत्रक की छपाई नहीं होने, कम विज्ञापन और प्रचार, कोविड–19 महामारी के कारण आभासी कार्यशालायें/संगोष्ठियां करने, राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने और वर्ष के अंत में प्रस्तावों का अनुमोदन होने के कारण हुई।

(b) "Mission Shakti (Mission for Protection and Empowerment for Women)" – saving of ₹39273.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹185155.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-printing of revised guidelines/booklets/leaflets of PMMVY, less advertisement and publicity, holding of workshops/seminars virtually owing to COVID-19 pandemic, non-receipt of utilization certificate from State Governments and approval of proposals at the fag end of the year.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"– सामर्थ्य (बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, क्रेच, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, जेंडर बजटिंग/अनुसंधान/कौशल संवर्धन/प्रशिक्षण आदि)"–₹9663.74 लाख की बचत (₹37000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Samarthya (Beti Bachao Beti Padhao, Creche, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Gender Budgeting/Research/Skilling/Training etc.)" - saving of ₹9663.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37000.00 lakhs); and

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – सामर्थ्य (बेटी बचाओ, बेटी पढाओ, क्रेच, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, जेंडर बजटिंग/अनुसंधान/कौशल संवर्धन/प्रशिक्षण आदि)"–₹3651.26 लाख की बचत (₹16345.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "Tribal Area Sub - Plan - Samarthya (Beti Bachao Beti Padhao, Creche, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Gender Budgeting/Research/Skilling/Training etc.)" - saving of ₹3651.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16345.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत लाभार्थियों की कम संख्या और संबंधित राज्य के शेयर में अंशदान नहीं होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less number of beneficiaries and non-contribution of corresponding state share.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601"–"केंद्रीय प्रायोजित योजनायें –केंद्रीय सहायता/अंश –"मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन)"के अंतर्गत–₹37209.94 लाख की बचत (₹42400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास पूर्ववर्ती वर्षों की अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने, निर्भया निधि से वित्तपोषित योजनाओं में अन्य मंत्रालयों/विभागों से मांग प्राप्त नहीं होने और राज्य सरकारों से अधूरे दस्तावेज प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3601"- "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - "Mission Shakti (Mission for Protection and Empowerment for Women)"- saving of ₹37209.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42400.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with State Governments, non-receipt of demand from other Ministries/Departments in the Schemes funded from Nirbhaya Fund and receipt of incomplete documents from State Governments.

(V) मुख्य शीर्ष "3602"–"केंद्रीय प्रायोजित योजना–केंद्रीय सहायता/अंश" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः

(का) "सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस–आंगनवाडी सेवायें, पोषण अभियान, किशोर लडकियों के लिए योजना, राष्ट्रीय क्रेच)"– ₹18937.41 लाख की बचत (₹67900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों के पास पूर्ववर्ती वर्षों का अप्रयुक्त शेष उपलब्ध होने, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने, और संबंधित राज्यों द्वारा अपने हिस्से का अंशदान नहीं करने के कारण हुई।

(खा) "मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन)"–₹3918.88 लाख की बचत (₹4310.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ववर्ती वर्षों का अप्रयुक्त शेष उपलब्ध होने, निर्भया निधि से वित्तपोषित योजनाओं में अन्य मंत्रालयों/विभागों से मांग प्राप्त नहीं होने और संघ राज्य क्षेत्रों से अधूरे दस्तावेज प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत बचत ₹384.14 लाख हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत है।

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईः

(I) मुख्य शीर्ष "3601"–"केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" –

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवायें और बाल कल्याण सेवायें)"– ₹6106.01 लाख का अधिक व्यय (₹54000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस–आंगनवाडी सेवायें, पोषण अभियान, किशोर लडकियों के लिए योजनायें, राष्ट्रीय क्रेच)" – ₹69981.74 लाख का अधिक व्यय (₹1107012.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(V) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Umbrella ICDS- Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls, National Creche)"- saving of ₹18937.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹67900.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with UTs, non-receipt of utilization certificates and non-contribution of corresponding state share.

(B) "Mission Shakti (Mission for Protection and Empowerment for Women)" – saving of ₹3918.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4310.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year, non-receipt of demand from other Ministries/Departments in the Schemes funded from Nirbhaya Fund and receipt of incomplete documents from UT Governments.

(VI) Under one head saving of ₹384.14 lakhs occurred constituting 23 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes" -

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Mission Vatsalya (Child Protection Services and Child Welfare Services)" - excess of ₹6106.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54000.00 lakhs);

(b) "Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Umbrella ICDS- Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls, National Creche)" - excess of ₹69981.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 1107012.00 lakhs);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस–आंगनवाडी सेवायें, पोषण अभियान, किशोर लडकियों के लिए योजनायें, राष्ट्रीय क्रेच)"–₹4141.91 लाख का अधिक व्यय (₹412540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में): और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Umbrella ICDS- Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls, National Creche)" - excess of ₹4141.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹412540.00 lakhs); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना –सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0 (अम्ब्रेला आईसीडीएस–आंगनवाडी सेवायें, पोषण अभियान, किशोर लडकियों के लिए योजनायें, राष्ट्रीय क्रेच)"–₹24185.29 लाख का अधिक व्यय (₹158748.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Umbrella ICDS- Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls, National Creche)" - excess of ₹ 24185.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹158748.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यत्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3602" "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें –केंद्रीय सहायता/अंश–मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवायें और बाल कल्याण सेवायें)"–₹995.70 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बाल गृहों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Mission Vatsalya (Child Protection Services and Child Welfare Services)" - excess of ₹995.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Children Homes for UTs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में ₹500.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा और अंततः अभ्यर्पित किया गया।

3. In the capital section of the grant, provision of ₹500.00 lakhs remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.